

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुकम वा कारवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जम 3 म
हुकम की तामील
में जारी हुए।


04/11/24

~~पत्रावली पेश / वकीलवादी उपखण्ड~~
~~वाले साक्ष्यवादी अंतिम अन्वय~~
~~दिया जाकर दिनांक 05/02/25 को~~
~~पेश हो।~~

SDO

05/02/25

पोटासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 25/4/25
को पेश हो।


सिद्ध


01/8/25

पोटासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 23/9/25
को पेश हो।


सिद्ध

23/09/25

पोटासीन अधिकारी अन्य कार्यों में
व्यस्त है। पत्रावली दिनांक... 24/11/25
को पेश हो।


सिद्ध

04-11-25

पत्रावली पेश। वकीलवादी उपखण्ड
पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली
बड़े समय से ~~वकीलवादी~~ के अन्तर्गत विद्यमान
होने के कारण पत्रावली 09RS non-
compliance के तहत खारिज किया
जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर
बाद प्रति जमा है।

SDO

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crime-I

म
न

तित ३५ संखे आधारा मुकाम राजगढ़
 संखे नमूने संखे खनाम राजगढ़
 जदमा नं संखे

हुकम वा कारंवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>13.7.18 जज यह प्रार्थना प्रार्थी जतर्गत धारा 212 अंतर्गत. एक्ट का धर्ती प्रार्थी ने आधार्णिक के विरुद्ध प्रस्तुत कर अधार्णिक को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से वाबन्द करने का निवेदन किया गया कि आराजी विवादित धारा धारा नम्बर 46/0. 50, 47/0. 59, 49/0. 70, 241/0. 03, 242/0. 38, 243/0. 32, 244/0. 32, 245/0. 56, 246/0. 28, 247/0. 04, 248/0. 02, 249/0. 37, 250/0. 64, 251/0. 64 वाले ग्राम मांफरौ तहसील में स्थित है जो डोल तोड़कर मितमार न करें नवीन रास्ता कायम न करें आराजी से प्रार्थी को बंधना न करें कोई निर्माण कार्य न करें। कार्य भारत प्रार्थी के कितने प्रकार की लकावट को मजहमत पैदा न करें मौका की स्थिति यथास्त बनाये रहें। साथ में शपथ पत्र पेश किया गया।</p> <p>बहुत जल्दी प्रार्थी एक पक्ष में तुनी गई। शपथ पत्र प्रार्थी शपथ पत्र में प्रस्तुत इतिवृत्तों को विवरण करने पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है अतः अधार्णिक को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 20.8.18 तक वाबन्द किया जाता है कि जो विवादित आराजी को डोल को मितमार कर नवीन रास्ता कायम न करें प्रार्थी को आराजी से बंधना न करें कोई निर्माण कार्य न करें। कार्य भारत प्रार्थी के कितने प्रकार की लकावट को मजहमत पैदा न करें। कार्य की स्थिति यथास्त बनाये रहें। साथ में नोटिस भी जारी की कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई शतराज हो तो दिनांक 20.8.18 को उपस्थित न्यायालय हीकर मोह करें। दर्ज हों।</p>	<p>उप संखे आधारा अधिकारी राजगढ़ (अलवर)</p> <p><i>(Handwritten signatures and notes)</i></p>

तारीख
हुवम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04-11-25

पत्रावली पेश। मूलकादू orders
Rule 5 non-compliance के तहत
खारिज किया जा चुका है। अतः प्रार्थना
पत्र 212 RT Act की कार्यवाही बंद
की जाती है। पत्रावली मखर से कम
होकर बाद प्रति मूलकादू के साथ
संलग्न होकर लो।

SDO

[Faint, mostly illegible text and stamps, including dates like 25/10/20 and 25/11/20, and official markings.]